न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बालमुकुन्द बनाम प्रेमशंकर वगै0

किस्म मुकदमा:— 225 / बून्दी मिसल नं0 2025 / 327

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
04 / 09 / 2025	विद्वान अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 17 / 2025 में पारित निर्णय / आदेश दिनांक 07.02. 2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस स्थगन प्रार्थना—पत्र पर अन्तरिम स्थगन हेतु सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण के मध्य आपसी सहमति से पूर्वजों के समय से ही बाहमी बंटवारा हो रखा है। तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 94 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.42 हैक्टेयर बंटवारे में अपीलांट को प्राप्त हुई है जिस पर केवल अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा उक्त आराजी का अपीलांट खातेदार घोषित होने योग्य है। उक्त आराजी आरसीपी परियोजना में अवाप्त की जा चुकी है जो प्रार्थी अपीलांट के हिस्से व कब्जे की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी का मुआवजा उठाने पर आमादा हो रहे है। कानूनन जब तक उक्त वर्णित आराजी के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय से खातेदारी हक अधिकार का विनिश्चय नहीं हो जाता और राजस्व रिकॉर्ड के गलत इन्द्राज विलोपित नहीं हो जाते तब तक रेस्पोडेन्टगण उक्त वर्णित अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने तथा वादग्रस्त आराजी को दीगर को हस्तांतरित करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत	

प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट द्वारा दिनांक 07.02.2025 को अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादग्रस्त अवाप्तशुदा आराजी के मुआवजे की राशि प्राप्त ना करने तथा दीगर को हस्तांतरित नहीं करने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने हेतु निवेदन किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के अर्जेन्ट नेचर का होने के बावजूद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान करके रेस्पोडेन्टगण को उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने व मुआवजा राशि हड़प करने की खुली छूट दे दी है। अपीलांट का प्रथम दृष्ट्या केस है तथा सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। यदि दौराने अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी को दीगर को हस्तांतरित कर दिया तथा मुआवजा राशि प्राप्त कर ली गई तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1394 प्रस्तुत कर कथन किया कि अवाप्तुशदा कृषि भूमि के मुआवजे के सम्बंध में हक अधिकारों के निर्धारण का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अन्त में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया कि वे वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की खसरा नम्बर 94 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.50 कुल किता 2 की रकबा 1.42 हैक्टेयर अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि नहीं उठावे तथा वादग्रस्त आराजी को दीगर को हस्तांतरित अथवा खुर्द बुर्द नहीं करें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी के ईआरसीपी योजना के तहत भूमि अवाप्ति का मुआवजा नहीं उठाये जाने एवं वादग्रस्त आराजी को दीगर को हस्तांतरित नहीं किए जाने बाबत रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.02.2025 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 07.02.2025 में प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए जाने का आदेश अंकित है तथा आगामी पेशी 03.04.2025 अंकित है, प्रकरण में आगामी पेशी 28.08.2025 नियत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.02.2025 अंतरिम प्रकृति का आदेश है, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है तथा प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर विधिक प्रकिया के तहत अपना पक्ष रखकर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है, अतः हमारे मत में प्रकरण के वर्तमान स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। हमारे मत में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है अतः अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का गुणावगुण पर शीघ्र अंतिम निस्तारण किए जाने बाबत निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 की पालना में प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा